बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 277

लड़खड़ाती शुरुआत

सरकार की स्टार्ट अप इंडिया पहल के तहत किए गए फंड आवंटन से पता चलता है कि यह महत्त्वाकांक्षी योजना सफलता से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब तीन वर्ष पहले स्टार्ट अप फंड ऑफ फंड्स की शुरुआत की थी ताकि शुरुआती उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके। अब तक इस फंड में 1,900 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई गई है जो वेंचर कैपिटल फर्मों के 10,000 करोड़ रुपये के फंड के 20 फीसदी के बराबर है। स्टार्ट अप इंडिया के फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन करने वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ओर से जारी अनुमान इस बात का संकेत हैं कि सरकार उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रही है। सरकार चाहती थी कि यह व्यवस्था रोजगार सृजन का इंजन बने। इसकी कमी मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के लिए चुनौती बन चुकी है। कारोबार और राजनीति अक्सर साथ-साथ चलते हैं लेकिन स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं की दृष्टि और इनका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सरकार इसमें नाकाम रही है। केवल स्टार्ट अप इंडिया के मामले में ही नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के मामले में भी सरकारी पहल कमजोर साबित हुई है। इनमें से कोई भी तमाम संभावनाओं के बावजूद सफल नहीं करार दी जा सकीं।

सरकार ने सिडबी के प्रबंधन में फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करके बेहतर किया ताकि वेंचर कैपिटल फंड्स के माध्यम से स्टार्ट अप के लिए धन आवंटन किया जाए। सरकार को नवाचार को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, बजाय कि केवल पैसे बांटने के। बिना नवाचार के पैसे बांटना उद्यमिता के लिए उचित नहीं। ब्रिटेन, इजरायल तथा अमेरिका जैसे अन्य स्टार्ट अप हब वाले देशों में संस्थागत मदद में शोध और नवाचार पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में संघीय सरकार प्राय: कोई कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए अनुदान नहीं देती लेकिन वह तकनीकी विकास समेत सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा कारोबारी अनुदान राज्य अथव स्थानीय पहल के माध्यम से दिया जाता है। कई प्रतिस्पर्धी पुरस्कार आधारित कार्यक्रम भी हैं जो अमेरिका में छोटे कारोबारियों को शोध एवं विकास में मदद करते हैं। इससे वाणिज्यिक अवसर तैयार होते हैं।

स्टार्ट अप इंडिया पहल में इस अंतर के बावजूद देश में 100 करोड़ डॉलर से अधिक की पूंजी वाले स्टार्ट अप की बढ़ती तादाद सुखद है। इनमें से आठ को वर्ष 2018 में यह दर्जा मिला। किसी एक वर्ष में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप केंद्र है। यहां 7,700 से अधिक टेक स्टार्ट अप हैं। सवाल यह है कि क्या ये स्टार्ट अप बिना सरकार की सक्रिय सहायता के पनपी हैं या सरकार के बावजूद। यह तथ्य है कि फंडिंग में धीमापन चिंता की बात है वह भी तब जबकि नवाचार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में कहा है कि स्टार्ट अप को फर्म के मूल्यांकन के आधार पर ऐंजल टैक्स चुकाना होगा। इस बात ने भी इस क्षेत्र की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि सरकार ने प्रवर्तकों को आश्वस्त किया है कि विशेषज्ञ समिति इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के कैशबैक और भारी छूट देने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि कई नई स्टार्ट अप इस क्षेत्र में आ सकती हैं, ऐसे में सरकार का यह संदेश उनके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि सिडबी अब फंड वितरण की प्रक्रिया तेज कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि सरकार अपनी बात पर अमल करे।

विनय सिन्हा

बैंकिंग क्षेत्र में कुछ ही सुधार रहे मौलिक

मोदी सरकार के समय बैंकिंग क्षेत्र में हुए कुछ सुधार नाममात्र के ही हैं। मौलिक सुधार तो दिवालिया कानून और एमपीसी का गठन ही रहे हैं। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

वर्ष 2018 किसी भी लिहाज से भारतीय बैंकिंग के लिए उथल-पुथल भरा साल रहा है। इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के 12 फरवरी को जारी परिपत्र से हो गई थी जिसने भारत में बैंकिंग के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस परिपत्र ने सरकार के भीतर असंतोष के बीज बोने का भी काम किया। उसके बाद वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों ही विद्वेष का प्रदर्शन करते रहे जिसकी परिणति गवर्नर ऊर्जित पटेल के 'निजी कारणों से' दिए गए इस्तीफे के रूप में हुई।

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को करीब 2 अरब डॉलर का चूना लगाने के बाद हीरा कारोबारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का विदेश भागना भी बैंकिंग क्षेत्र की एक अहम घटना रही। इन सभी घटनाओं ने भारत में ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री की दिशा में हुई बेहतरीन प्रगति को ढक दिया।

लेकिन हम बीते साल का पुनरावलोकन करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साढ़े चार साल में बैंकिंग सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर नजर डाल सकते हैं। नीतिगत विमर्श समूह 'पहले इंडिया' फाउंडेशन ने मौजूदा सरकार की सभी नीतिगत घोषणाओं का संकलन कर उनके क्रियान्वयन एवं विस्तार के आधार पर उनकी ग्रेडिंग भी की है। हालांकि मैंने केवल बैंकिंग क्षेत्र से संबद्ध नीतिगत घोषणाओं पर ही केंद्रित किया है।

1. सार्वजनिक स्वामित्व बनाए रखते हुए आम नागरिकों के हाथों शेयरों की चरणबद्ध तरीके से बिक्री कर शेयरधारिता बढ़ाकर सार्वजनिक बैंकों के लिए पूंजी जुटाई जाएगी। वर्ष 2014-15 के बजट में की गई इस घोषणा के बारे में क्या कुछ सुनाई दिया है?

2. वर्ष 2014-15 के बजट में सार्वजनिक बैंकों की सेहत सुधारने के लिए उनके एकीकरण की बात कही गई थी। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का मूल बैंक में विलय हो चुका है लेकिन यह तो पारिवारिक मामला है। यह देखना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय को किस तरह अंजाम दिया जाता है?

3. वर्ष 2014-15 के बजट के मुताबिक, निजी क्षेत्र में सार्वभौम बैंकों को मंजूरी देने के लिए एक ढांचा खड़ा किया जाएगा। इसमें कहा गया था कि आरबीआई छोटे बैंकों और भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने का का मसौदा तैयार करेगा। सार्वभौम बैंकिंग के लाइसेंस पर लगाम लगाकर और छोटे वित्तीय एवं भुगतान बैंकों को लाइसेंस देकर आरबीआई ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो छोटे कारोबारियों और निम्न आय परिवारों की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके बावजूद वित्तीय समावेशन की राह में लंबा सफर तय करना है।

4. ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को 21 दिसंबर, 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। मई 2016 में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिली। इस कानून के तहत पहला आदेश 14 अगस्त, 2017 को सिनर्जीज-डूरे ऑटोमोटिव मामले में आया। हालांकि कर्ज समाधान में अभी कई अड़चनें हैं और अधिकांश मामलों में जरूरत से अधिक वक्त लग रहा है। लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस आक्रामक कानून के चलते कर्ज अदायगी में चूक करने वाली कंपनियों को छिपना पड़ रहा है।

5. बजट 2015-16 में कहा गया था कि डाक विभाग अपना भुगतान बैंक शुरू करेगा। बहुत लोग इससे अनभिज्ञ हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वजूद में आ चुका है। सितंबर 2018 में इस बैंक की विधिवत शुरुआत हो गई। इसके जरिये देश भर में फैले 1.55 लाख डाकघरों और 3 लाख डाक सेवा कर्मियों के सहारे लोगों के घर तक बैंकिंग सेवाएं देने की मंशा है। देखते हैं, बात कहां तक पहुंचती है?

6. पांच अरब रुपये से अधिक परिसंपत्ति वाली बड़ी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को वित्तीय संस्थान माना जाएगा और उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के दायरे में रखा जाएगा। बजट 2015-16 में की गई यह घोषणा पूरी हो चुकी है जिसके बाद एनबीएफसी छोटे कर्जों की वसूली कर सकती हैं।

7. सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के चयन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के रूप में एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा जो बैंकों को पूंजी जुटाने की रणनीति बनाने में भी मदद करेगा। बजट 2015-16 के मुताबिक बीबीबी सार्वजनिक बैंकों के लिए एक होल्डिंग एवं निवेश कंपनी बनाने की नायक समिति की सिफारिश की दिशा में बढ़ाया गया अंतरिम कदम है। हालांकि बीबीबी का गठन हुए तीन साल हो चुके हैं लेकिन यह बस नियुक्ति करने वाली गौरवशाली समिति भर है जिसके सुझाए नामों को तो कई बार वित्त मंत्रालय नकार देता है।

8. ढांचागत परियोजनाओं के लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग व्यवस्था लाने का जिक्र 2016-17 के बजट में किया गया था। अधिकांश रेटिंग एजेंसियों ने 'अनुमानित नुकसान' पद्धति पर आधारित ढांचा विकसित किया है जिसमें चूक की संभावना और वसूली के अनुमान को ध्यान में रखा जाता है। सवाल है कि क्या प्रमुख क्षेत्रों में अधिक धन प्रवाह हो रहा है?

9. आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन कर मौद्रिक नीति मसौदा और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन का प्रावधान शामिल किया जाएगा। बजट 2016-17 में किए गए इस प्रस्ताव के बाद मुद्रास्फीति के बारे में लचीले लक्ष्य तय करने के लिए दो वर्षों से एमपीसी वजूद में आ चुकी है। मौद्रिक नीति भी केवल आरबीआई गवर्नर के हाथों में नहीं रह गई है, उसका फैसला छह-सदस्यीय पैनल करता है।

10. सरफेसी अधिनियम 2002 में संशोधन कर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी देने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एआरसी की तरफ से जारी होने वाली प्रतिभूति प्राप्तियों की 100 फीसदी होल्डिंग की छूट देने का प्रस्ताव 2016-17 के बजट में रखा गया था। इसे आंशिक तौर पर लागू किया जा चुका है। एआरसी अब विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं लेकिन प्रतिभूति प्राप्तियां खरीदने के पात्र निवेशकों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।

11. सार्वजनिक बैंकों एवं कंपनियों को ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम (टीरेड्स) प्लेटफॉर्म पर लाने और उसे जीएसटी नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव 2018-19 के बजट में किया गया था। एमएसएमई के रसीदों एवं बिलों के वित्तीयकरण की सुविधा के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था लेकिन अभी तक कई सार्वजनिक बैंक इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव 2018-19 के बजट में किया गया था। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

इन प्रस्तावों में से कुछ तो नाममात्र के बदलाव हैं जबकि बीबीबी नई बोतल में भरी पुरानी शराब ही है। मौलिक सुधार तो दिवालिया कानून और एमपीसी का गठन ही रहे हैं। तमाम गतिरोधों के बावजूद दिवालिया कानून ने बैंकर और कर्जदार के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है और एमपीसी ने मौद्रिक नीति तय करने की सूरत बदल दी है।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता एवं लेखक हैं)

रक्षा खरीद विभाग के पुनर्गठन की जरूरत

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है लेकिन रक्षा खरीद परिदृश्य नाकामी से भरा है। रक्षा मंत्री रहते समय मनोहर पर्रिकर ने रक्षा खरीद में तेजी लाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) को सरल बनाने का वादा किया था। एक साल की देरी के बाद जब वर्ष 2016 में डीपीपी जारी हुआ तो वह 2013 के 421 पृष्ठों वाले पिछले संस्करण से 9 पृष्ठ ज्यादा ही था। इसमें खरीद प्रक्रिया को 137 हफ्ते से घटाकर 126 हफ्ते करने की बात कही गई थी। गत मार्च में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा उत्पादन नीति (डीपीआरपी) 2018 का मसौदा जारी किया था जिसमें कुछ बड़े लक्ष्य रखे गए थे। वर्ष 2025 तक भारत को दुनिया के शीर्ष पांच रक्षा उत्पादकों में शामिल करना और रक्षा क्षेत्र में 30 लाख रोजगार पैदा करने की बातें की गई थीं। उस साल तक भारत को रक्षा निर्यात दस गुना बढ़ाकर 5 अरब डॉलर पहुंचाने के साथ ही लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, हथियारबंद वाहन और मिसाइल विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि हितधारकों को एक हफ्ते में ही अपनी राय देने को कहा गया। लेकिन उसके बाद से कुछ भी सुनाई नहीं दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल में समायोजन नीति का मसौदा जारी किया था जिसमें रक्षा विनिर्माण ढांचा खड़ा कर वेंडरों को ऑफसेट पूरा करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव था। इसके लिए उच्च तकनीक पैदा करने वाली परियोजनाओं के प्रायोजन और भारत में अभी तक नदारद तकनाकों के हस्तांतरण को जरिया बनाने की बात कही गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा उद्योग गलियारों में निवेश करने पर विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव था। लेकिन अभी तक इस मसौदे पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। फरवरी में रक्षा मंत्री ने अहम हथियार खरीद की पड़ताल और उनमें हो रहे विलंब के कारण जानने के लिए 13 सदस्यीय परामर्श समिति बनाई थी। समिति को 31 मार्च 2018 तक प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट देनी थी लेकिन अभी तक इसकी बैठक ही नहीं हो पाई है।

रक्षा खरीद संगठन (डीपीओ) बनाने की पहल भी परवान नहीं चढ़ पाई है। भाजपा ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस की अगुआई वाले संप्रग पर रक्षा खरीद में ढिलाई बरतने के आरोप लगाते हुए सैन्यबलों को आधुनिक बनाने और रक्षा शोध एवं विकास को बढ़ावा देने का वादा किया था। स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास और रक्षा सौदों के जल्द क्रियान्वयन की बात भी कही गई थी।

राजग सरकार को रक्षा खरीद में सुधार करने में दो साल लग गए। धीरेंद्र सिंह समिति ने रक्षा मंत्रालय से इतर एक डीपीओ बनाने की जरूरत पर बल दिया था जिसके बाद पर्रिकर ने इसे विवेक राय की अध्यक्षता वाली एक और समिति के हवाले कर दिया। राय मौजूदा रक्षा खरीद ढांचे को ही मजबूत बनाना चाहते थे लेकिन सहमति नहीं बन पाने पर उन्होंने सितंबर 2016 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 'प्रबंधन विशेषज्ञ' प्रीतम सिंह इस समिति के चेयरमैन बने। मार्च 2017 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि इस समिति ने एक केंद्रीय, स्वायत्त एवं अधिकार-संपन्न पेशेवर संगठन बनाने की अनुशंसा की है। उसके बाद से इस पर चुप्पी छाई हुई है।

हालांकि कोई भी सरकार डीपीओ में सुधार को देर तक टाल नहीं सकती है। इस दौरान चार पहलू ध्यान में रखे जाने चाहिए। पहला, नए डीपीओ का ध्यान महज रक्षा खरीद पर नहीं बल्कि समग्र रूप में रक्षा अधिग्रहण पर होना चाहिए। रक्षा अधिग्रहण में सैन्य जरूरतों को स्वदेशी विकास से भी पूरा करने पर जोर रहता है। रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) फिलहाल 370 अरब रुपये से अधिक मूल्य की 52 परियोजनाएं चला रहा है। मिशन मोड में चलने वाले इन परियोजनाओं (एमएमपी) पर सेना को खुली छूट होती है क्योंकि वह इनमें हितधारक नहीं है और इन्हें अधिग्रहण विकल्प भी नहीं मानती है। इस स्थिति को दूर करने के लिए सेना को एमएमपी में वित्तीय भागीदार बनना चाहिए। संशोधित डीपीओ को ऐसे अधिकार मिलें कि वह सीधी खरीद, तकनीक हस्तांतरण के तहत विनिर्माण या एमएमपी के जरिये सेना की जरूरत पूरी कर सके। डीआरडीओ के प्रयासों और अधिग्रहण का काम देखने वालों के बीच की खाई भरनी होगी।

दूसरा, डीपीओ सुधार में एकदम नया ढांचा खड़ा करने से परहेज किया जाना चाहिए। हरेक अधिग्रहण एक अलग गतिविधि होती है लिहाजा उसका संचालन कार्यक्रम प्रबंधकों के हाथों में देना चाहिए। एकीकृत कार्यक्रम दल (आईपीटी) में उस रक्षा उत्पाद के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। हरेक खरीद परियोजना के लिए अलग विशेषज्ञों की जरूरत होगी लिहाजा आईपीटी का गठन और पुनर्गठन होते रहना चाहिए। ऐसा लचीला ढांचा कठोर एवं केंद्रीकृत डीपीओ के आधार को खत्म करेगा।

तीसरा, संशोधित डीपीओ को रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण पर खास ध्यान देना होगा ताकि वरिष्ठ अधिकारियों का वक्त बचे। फिलहाल खरीद प्रक्रिया में सेना के सभी अंगों के प्रमुखों के अलावा रक्षा, रक्षा उत्पादन और रक्षा शोध एवं विकास के सचिव शामिल होते हैं। रक्षा सचिव दीर्घावधि रणनीति बनाने के बजाय अपना 60 फीसदी वक्त खरीद संबंधी गतिविधियों में ही लगाते हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रकोष्ठ को उन्नत कर सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन अलग विभाग बना देना इसका उपाय है।

अंतिम और शायद सबसे मुश्किल मसला नए डीपीओ में विशेषज्ञता रखने वाले अधिग्रहण प्रबंधकों की नियुक्ति का है। एक तरफ आईएएस अधिकारी किसी दूसरे कैडर को रक्षा अधिग्रहण का वरिष्ठ पद देने के प्रस्ताव का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ मेधावी अधिकारी भी अधिग्रहण में लंबा कार्यकाल नहीं चाहेंगे क्योंकि यह बेहद जोखिम वाला काम है।

कानाफूसी

बदलेगा विश्वस्त सलाहकार?

क्या अलवर के भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अशोक गहलोत का स्थान लेंगे। निश्चित तौर पर सिंह के पास गहलोत जैसा अनुभव और जनता के साथ उतना जुड़ाव नहीं है लेकिन वह उन प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं जिन्होंने युवा नेता सचिन पायलट को इस बात के लिए मनाया कि वह गहलोत के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान करें और उनके डिप्टी की भूमिका स्वीकार करें। जिन दिनों राहुल गांधी पार्टी की युवा शाखा के प्रभारी महासचिव थे, उस समय सिंह उनके सचिव थे। उधर, राहुल गांधी की अपनी दिक्कतें हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुजुर्ग नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब उनके लिए यह जरूरी हो गया है कि वह युवाओं को यह संकेत दें कि शीर्ष पदों पर हमेशा बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं का एकाधिकार नहीं रहेगा।

पुरानी समस्या

संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को समाप्त हो रहा है। परंतु बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए अलग बजट सत्र आहूत करेगी या शीतकालीन सत्र को ही आगे बढ़ाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस सत्र की शुरुआत 30 जनवरी को हो सकती है और यह एक सप्ताह तक चल सकता है। इतना ही नहीं आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। परंतु सरकार के भीतर भी इस बात को लेकर दो मत हैं कि मौजूदा शीतकालीन सत्र को समाप्त कर नया बजट सत्र बुलाया जाए या 8 जनवरी से 30 जनवरी तक के अंतराल के बाद मौजूदा लोकसभा के आखिरी सत्र को शीतकालीन सत्र का ही विस्तारित रूप घोषित किया जाए। वर्ष 2009 और 2014 में संप्रग सरकार ने शीतकालीन सत्र और बजट सत्र को मिला दिया था।

आपका पक्ष

खुदरा कारोबारियों को राहत की आस

खुदरा कारोबारी बढ़ते ऑनलाइन कारोबार से परेशान हैं। बीते साल इन कारोबारियों पर ऑनलाइन बिक्री की काफी मार पड़ी थी। क्योंकि पिछले साल खासकर त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा ऑनलाइन रिटेलरों ने सेल लगाई थी। केंद्र सरकार ने बीते साल आखिरी महीने में ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से कीमतों में भारी छूट पर और विशिष्ट बिक्री अनुबंधों पर लगाम लगाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर कीमतों में भारी छूट और विशिष्ट बिक्री से ही खुदरा कारोबारियों को सबसे ज्यादा चपत लग रही है। लिहाजा नए दिशानिर्देशों से कारोबारियों को राहत मिल सकती है। इन दिशानिर्देशों पर इस साल पालन होना है। इसके लिए कारोबारियों ने केंद्र सरकार से एक नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग भी की है।

रामनरेश त्रिपाठी, इलाहाबाद

कारोबारियों को सरलीकृत जीएसटी

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हाल में दिशानिर्देश जारी किए हैं

कारोबारियों के लिए बीते साल को जीएसटी में सुधार वाला साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने पिछले साल जीएसटी में अनुपालन के समय आई दिक्कतों को दूर करने के लिए निरंतर सुधार किए। जीएसटी अनुपालन में पोर्टल और नियमों की जानकारी संबंधी परेशानियां अब लगभग दूर हो चुकी हैं। लेकिन जीएसटी रिटर्न फॉर्म पर समस्या है। जीएसटी परिषद ऐलान कर चुकी है कि इस साल से सरलीकृत जीएसटी रिटर्न फॉर्म लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री जीएसटी व्यवस्था के तहत भविष्य में दो दरों के रहने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कारोबारियों को सरलीकृत जीएसटी की सौगात मिल सकती है।

आकांक्षा अग्रवाल, फरीदाबाद

मीटू अभियान की सफलता पर सवाल

इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार सोशल मीडिया में मीटू अभियान ने काफी जोर पकड़ा लेकिन देश में सिर्फ 21 महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। अक्टूबर में आयोग ने महिलाओं से अपनी औपचारिक लिखित शिकायत भेजने के लिए एक वेबसाइट में ईमेल के जरिये भेजने को कहा था। इसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर उत्पीड़न की शिकार महिलाएं लिखित शिकायत भेज सकती हैं। लेकिन अक्टूबर से अबतक केवल 21 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया में कई महिलाएं खुलकर सामने आई थीं और उन्होंने अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का वाकया बयां किया था। लेकिन महिला आयोग में इतनी कम शिकायत का आना इस अभियान के महत्त्व को कम कर सकता है। मीटू अभियान के आरंभ में कई बड़े चर्चित लोगों का नाम सामने आया था। एक केंद्रीय मंत्री को उनपर लगे आरोपों के बाद पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। सोशल मीडिया में लोकप्रिय हुए मीटू अभियान की सफलता के लिए इसके बाद की कार्रवाई आवश्यक है। अर्थात पीड़ित महिला लिखित शिकायत करे जिसके बाद मुकदमा चले। वरना सोशल मीडिया में खबर उड़ने के कुछ दिन बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

श्रुति कुमारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।